चोरी का माल खरीदने वाला व्यापारी गिरफ्तार, 25 किलो ड्राई फ्रूट बरामद

जयपुर। नाहरगढ़ रोड थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात का 24 घंटे में खुलासा कर शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया करीब 25 किलो खस-खस बरामद किया गया है। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा ने बताया कि 3 जनवरी 2026 को परिवादी ने थाना नाहरगढ़ रोड में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अग्रसेन मार्केट बालाजी का चौक स्थित उसकी दुकान के बाहर रखी ड्राई फ्रूट (खस-खस) की बोरी अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त बजरंग सिंह के निर्देशन एवं सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली राजेंद्र कुमार के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया।

गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सलमान खान उर्फ अज़हर हुसैन को 4 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में आरोपी ने नशे की आदत के चलते रात्रि व सुबह के समय दुकानों और मकानों के बाहर रखा सामान चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी ने जयपुर उत्तर क्षेत्र में करीब एक दर्जन नकबजनी व चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है।पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले व्यापारी सलमान खान उर्फ चमन को भी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 25 किलो खस-खस बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी सलमान खान का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और उसके खिलाफ पूर्व में चोरी व नकबजनी के कई प्रकरण दर्ज हैं।

नाहरगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात का 24 घंटे में खुलासा कर शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया।

- पुलिस के अनुसार आरोपी सलमान खान का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और उसके खिलाफ पूर्व में चोरी व नकबजनी के कई प्रकरण दर्ज हैं

साइबर ठगी करने वाले चढे पुलिस के हत्थे

जयपुर। साइबर ठगी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बजाज नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से विभिन्न बैंकों के 58 एटीएम कार्ड, 18 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 19 सिम कार्ड, एक सीसीटीवी कैमरा सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व संजीव नैन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर साइबर अपराधों में वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए जयपुर पूर्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने एक साल से फरार चल रहे आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर महेश नगर थाना क्षेत्र के न्यू सांगानेर रोड स्थित राधा विहार कॉलोनी में दबिश दी। वहां एक मकान की दूसरी मंजिल पर तीन युवक लैपटॉप और मोबाइल के जरिए ऑनलाइन गतिविधियों में लिप्त पाए गए।पुलिस ने मौके से दिनेश गोवरानी निवासी मानसरोवर, नितिन कुमार निवासी सोडाला और आर्यन सैनी निवासी जयसिंहपुरा खो को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अपने साथी दीपक अग्रवाल उर्फ दर्शन के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को अधिक मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगी करते थे। जांच में यह भी सामने आया कि इनके खातों से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात सहित अन्य राज्यों में साइबर ठगी की शिकायत दर्ज हैं।

बरामद सामग्री और आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए महेश नगर थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और साइबर ठगी के नेटवर्क की गहनता से जांच की जा रही है।

बजट आवंटन और मंत्री तक किस प्रक्रिया से जाती हैं फाइल : ईडी कोर्ट

जयपुर। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन से जुडे मामले में टेंडर प्रक्रिया से लेकर बजट आवंटन और अंतिम रूप से विशिष्ट अधिकारी व मंत्री तक पत्रावली भेजने की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है।

अदालत ने विभाग के संबंधित अधिकारी को जानकारी देने के लिए रिकॉर्ड सहित पेश होने को कहा है। पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा है कि परिवाद और पूरक परिवाद पर आगामी कार्रवाई करने से पूर्व जल जीवन मिशन योजना से संबंधित स्कीम की अवधारणा, प्रदेश को आवंटित बजट और इसमें से जिलेवार आवंटित होने वाले बजट की जानकारी लेना जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित जिलों के अधिकारियों का नियंत्रण, टेंडर प्रक्रिया, टेंडर को अंतिम रूप देने वाले अधिकारी और उसकी प्रक्रिया, तकनीकी और वित्तीय बिड स्वीकार करने वाले बोर्ड के सदस्यों की संख्या और अधिकारिता सहित अंतिम रूप से पत्रावली विशिष्ट अधिकारी व मंत्री को भेजने से जुड़ी प्रक्रिया का खुलासा होने की जरूरत है।

सुनवाई के दौरान आरोपी पदमचंद जैन ने अदालत में समर्पण किया। इसके बाद आरोपी की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई।

जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत मुचलके पेश करने की शर्त पर जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एसीबी ने मामला दर्ज किया था।

अब घर बैठे होगी ई-जनसुनवाई

जयपुर । जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने आयोजित समीक्षा बैठक में नागरिकों को प्रदत्त की जा रही सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई निर्णय लिए बैठक में जेडीए के सभी प्रकोष्ठों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जेडीसी महाजन ने आमजन की सुविधा के लिए ई-जनसुनवाई सेवा शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये।

कांग्रेस सांसद संजना जाटव, राहुल कस्वां और बृजेन्द्र सिंह ओला ने एमपी-एलएडीएस निधि से साधा राजनीतिक हित

जयपुर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सोमवार को एक बयान जारी कर कांग्रेस के तीन सांसदों पर सांसद विकास निधि का उपयोग राजनीतिक हित के लिए करने का आरोप लगाते हुए तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तीन सांसद संजना जाटव (भरतपुर), राहुल कस्वां (चूरू) और बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनूं) केन्द्रीय नेतृत्व के खास नेताओं की खुशामद करने के लिए जनप्रतिनिधि के कर्तव्यों की मर्यादाएं तार-तार कर रहे हैं। वे नियमों को ताक में रखकर एमपी-एलएडीएस निधि का पैसा कांग्रेस राज्यसभा सांसद और पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सिंह सुरजेवाला के कैथल विधानसभा में खर्च कर रहे हैं। राजस्थान के हिस्से का पैसा इन तीन सांसदों के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने पर हरियाणा में खर्च किया जा रहा है।

बेढ़म ने कहा कि एमपी-एलएडीएस निधि के नियमों के अनुसार हर सांसद को 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं जिनमें से अधिकतम 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष सांसद अपने क्षेत्र के बाहर खर्च कर सकता है। आपदा में 1 करोड़ रुपये तक दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के तीन सांसद संजना जाटव, राहुल कस्वां और बृजेन्द्र सिंह ओला अपनी सांसद निधि का बड़ा हिस्सा हरियाणा के कैथल जिले में भेज रहे हैं जबकि उनकी संसदीय निधि से क्रमशः भरतपुर, चूरू और झुन्झुनूं संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं।गृह राज्य मंत्री ने कहा कि संजना जाटव 45 लाख रुपये, राहुल कस्वां 50 लाख रुपये और बृजेन्द्र सिंह ओला 25 लाख रुपये सहित लगभग 1.30 करोड़ रुपये कैथल के विकास कार्यों के लिए दे चुके हैं।

आश्चर्य है कि राजस्थान की जनता ने उनको वोट दिया लेकिन वो विकास के लिए पैसे हरियाणा को दे रहे हैं।

बेढ़म ने कहा कि भरतपुर की सांसद संजना जाटव ने एमपी-एलएडीएस निधि से 142 कार्य अनुशंसित किए। इनमें से 37 कार्य ही पूर्ण हुए जो कि अलवर जिले में किए गए। भरतपुर जिले में एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। वहीं उन्होंने कैथल विधानसभा में 45 लाख रुपये के कार्य करवाए।

नीलकंठ महादेव मंदिर में 50 वाँ पोषबड़ा महोत्सव मनाया

जयपुर। नेहरू नगर पानीपेच स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष कैलाश सैनी, उपाध्यक्ष रामबाबू खोज, महामंत्री राजू सैनी, कोषाध्यक्ष हनुमान सहायक अग्रवाल, के द्वारा पौष बड़ा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया समाज सेवीक महेश सैनी ने बताया कि मंदिर की स्थापना सन् 1975 में की गई थी नेहरू नगर का यह एक ऐसा मंदिर है।

सोलहवीं राजस्थान विधानसभा का पंचम अधिवेशन 28 जनवरी से

जयपुर। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा का पंचम अधिवेशन बुधवार 28 जनवरी से शुरू होगा। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि विधान सभा के इस अधिवेशन के संबंध में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अधिसूचना जारी कर दी है।

देवनानी ने बताया कि लगभग एक महीने तक यह सत्र चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इस सत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य का बजट भी पेश किया जाएगा। वासुदेव देवनानी ने बताया कि सत्र के दौरान राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, विधायी कार्यों एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव जैसे संसदीय कार्य भी संपादित होंगे।

वासुदेव देवनानी सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के पंचम अधिवेशन से पूर्व विधान सभा में सर्वदलीय बैठक भी बुलायेंगे। राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ही सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने की पहल की है।

राजस्थान उप आवासन मण्डल आयुक्त वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-95/6 दिनांक-05.01.2026

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, योजना में आवास/फ्लैट संख्या 172/21 (LIG), का आवंटन श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री राधेश्याम को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1332 दिनांक 30.06.2006 को जारी किया गया था। इनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 16.02.2008 को कर दिया गया। श्रीमती शकुन्तला देवी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 01.03.2008 को श्री जयपाल मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक (चतुर्थ) जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री जयपाल मीणा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 17.10.2014 को श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 07 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है श्री भगवान सहाय गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैं सिद्धेश्वर राउत पिताजी आर्मी नं. 14652980P रैंक HAV नाम श्रीनिबास राउत निवासी गांव-रोहिया, नौगांव, जिला जगतसिंहपुर, ओडिशा ने भविष्य के लिए अपने बेटे के सर्विस रिकार्ड में अपनी जन्मतिथि 01.07.1956 से बदलकर 11.12.1956 कर दिया है।

मैं निर्मला राउत माताजी आर्मी नं. 14652980P रैंक HAV नाम श्रीनिबास राउत निवासी गांव-रोहिया, नौगांव, जिला जगतसिंहपुर, ओडिशा ने भविष्य के लिए अपने बेटे के सर्विस रिकार्ड में अपना नाम निहारिका राउत से बदलकर निर्मला राउत और जन्मतिथि 01.07.1963 से बदलकर 10.06.1962 कर दिया है।

मेरी 10वीं की अंक तालिका में पिता का नाम लक्ष्मण जैन अंकित है लेकिन मेरे समस्त दस्तावेजों में लक्ष्मण सिंह अंकित है अतः मेरे पिता का नाम भविष्य में रूपेश जैन पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण सिंह निवासी एस-3, प्लाट नं. 187 तिरूपति बिहार-सी, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर पढा, लिखा, पुकारा जावें।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरा नाम पहले अहमद आयात लिखा गया था और अब मंने अपना नाम बदलकर एवं सुधार कर आयात अहमद कर लिया है। भविष्य में मैं सभी प्रयोजनों के लिए आयात अहमद नाम से ही जाना और पहचाना जाऊंगा।

मैं आर्मी नं. 15211915H नायक (गनर) वढेल सुरेशभाई घनश्यामभाई यूनिट 199 मीडियम रेजिमेंट है मेरे सैन्य दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम घनश्यामभाई है और जन्मतिथि 01.07.1960 है जोकि गलत है मेरे पिताजी का सही नाम बढेल घनश्यामभाई मानसंगभाई है और जन्मतिथि 01.06.1959 है।

आम सूचना दि. 05.01.2026
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री रवि शर्मा पुत्र श्री जी.एन.शर्मा, निवासी 75, संतोष नगर, गंगा जमना पैट्रोल पम्प के सामने, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर- 302019 (राज.) स्वयं की माताजी श्रीमती बेला शर्मा पत्नी श्री गणेश नारायण शर्मा के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नं. 75, योजना सन्तोष नगर, बृजलालपुरा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज.) जिसका कुल क्षेत्रफल 316.66 वर्गगज है जिसे मेरे मुवक्किल श्री रवि शर्मा पुत्र श्री जी.एन.शर्मा एवं मेरे मुवक्किल की माताजी श्रीमती बेला शर्मा पत्नी श्री गणेश नारायण शर्मा एवं मेरे मुवक्किल की पत्नी श्रीमती नीतू शर्मा पत्नी श्री रवि शर्मा ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी. एफ.सी. लिमिटेड) में बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ था जिसका ऋण खाता संख्या क्रमशः (1) 520622210 तथा (2) 520835106 है, मेरे मुवक्किल की माताजी श्रीमती बेला शर्मा पत्नी श्री गणेश नारायण शर्मा का स्वर्गवास 16.10.2022 को हो चुका है तथा उक्त श्रीमती बेला शर्मा पत्नी श्री गणेश नारायण शर्मा के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान में मेरे मुवक्किल श्री रवि शर्मा पुत्र श्री जी.एन.शर्मा, मेरे मुवक्किल के पिताजी श्री गणेश नारायण शर्मा पुत्र श्री श्रवण लाल शर्मा, मेरे मुवक्किल के दो भाई क्रमशः (1) राकेश शर्मा व (2) सुधीर शर्मा पुत्रान श्री गणेश नारायण शर्मा उर्फ जी. एन. शर्मा एवं मेरे मुवक्किल की एक बहिन श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी श्री विनोद शर्मा पुत्री श्री गणेश नारायण शर्मा है, इनके अलावा स्वर्गीय श्रीमती बेला शर्मा पत्नी श्री गणेश नारायण शर्मा का कोई विधिक उत्तराधिकारी अथवा वारिसान नहीं है, चूंकि मेरे मुवक्किल श्री रवि शर्मा पुत्र श्री जी. एन. शर्मा एवं मेरे मुवक्किल की माताजी श्रीमती बेला शर्मा पत्नी श्री गणेश नारायण शर्मा एवं मेरे मुवक्किल की पत्नी श्रीमती नीतू शर्मा के द्वारा लिए गए समस्त ऋण की अदायगी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक में विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) को की जा चुकी है इसलिए मेरे मुवक्किल स्वयं की माताजी श्रीमती बेला शर्मा पत्नी श्री गणेश नारायण शर्मा के स्वामित्व की उक्त अचल सम्पत्ति के समस्त मूल दस्तावेज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) सी-25, भगवान दास रोड़, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी स्कीम, जयपुर-302001 (राज.) से प्राप्त करना चाहते है, इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो मय सबूत सात दिन की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, अवधि समाप्ति के पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा मेरी मुवक्किल के विरुद्ध शून्य व बेअसर मानी जावेगी।
(श्याम सुन्दर चावला) एडवोकेट,
6/47-48, मालवीय नगर, जयपुर-302017, मो.9829218044

कार्यालय नगर परिषद शाहपुरा, जयपुर (राज.)
(पीपली तिराहे के पास, शाहपुरा, जयपुर)
Email: shahpura.jaipur@gmail.com
क्रमांक-न.प.शा./भूमि/2025-26/497 दिनांक-05.01.2026
आपत्ति आमंत्रण सूचना
श्री जयसिंह पुत्र श्री राम कुवार नगर परिषद शाहपुरा, जयपुर में कृषि भूमि नियमन हेतु आवेदन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-
क्र.सं.-1, **आवेदक का नाम व पिता/पति का नाम**- श्री जयसिंह पुत्र श्री रामकुवार, **स्थित भवन/भूमि का मौहल्ला रास्ता, खसरा नं. व दिशा**- भैरू विहार कॉलोनी, बिदारा, शाहपुरा, जयपुर खसरा नं. 641/2, पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- जितेन्द्र कुमार का प्लॉट, उत्तर-कमला मीणा का प्लॉट, दक्षिण- सूरज मास्टर का प्लॉट, **कुल क्षेत्रफल (वर्गगज)**- 204.61, **विशेष विवरण**- आवासीय पट्टा हेतु।
अत किसी को भी इस बाबत आपत्ति हो तो 07 दिवस में मय सबूत लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपत्ति पेश करें, बाद अवधि विचार संभव नहीं होगा।
आयुक्त, नगर परिषद, शाहपुरा (जयपुर)

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक: 9485 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 01.01.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 190/61 (MIG-A), (एरिया 90.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री संजय शर्मा पुत्र डॉ. भास्कर शर्मा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 4311 दि. 29.11.2004 को जारी किया गया। श्री संजय शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 02.03.2009 को उप पंजीयक-चतुर्थ, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री संजय शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 02.03.2009 के द्वारा श्री दिनेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री ठाल चन्द गुप्ता को विक्रय कर सब रजिस्ट्रार जयपुर - पंचम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री दिनेश चन्द गुप्ता द्वारा उक्त आवास को दिनांक 29.09.2025 के द्वारा श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक-एकादश जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति स्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
संपदा प्रबंधक,वृत्त प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया-पाया
मेरे अभिभाष्यगण किशन गोपाल उर्फ लालाराम भडाणापुत्र श्री रामजीवण गुर्जर पुत्र श्री घीसाराम, श्रीमति सुप्यार देवी पत्नि किशन गोपाल गुर्जर निवासीगण शिवाजी नगर दूदू दिनांक 02.01.2026 को दूदू स्थित न्यायालय मे अपने अभिभाषकों से राय मशवरा लेकर वापस अपने घर आते समय उनके कागजात का बेग कहीं गिर गया है जिसमें उनके सन् 2010 से 2026 तक के विभिन्न मूल्यों के खाली स्टाम्प पाई पेपर व अंगूठा निशानी व हस्ताक्षरशुदा व बैंक ऑफ बडौदा, भारतीय स्टेट बैंक व अन्य बैंको की चैक बुके कुछ हस्ताक्षरशुदा चैक थे, जिनका कोई भी व्यक्ति दुरूपयोग कर सकता है यदि किसी व्यक्ति को दस्तावेज का यह बेग मिले तो वह मुझे या मेरे अभिभाष्य को लौटाकर रसीद प्राप्त कर लेवे सूचित रहे, यदि किसी व्यक्ति ने इनको दुरूपयोग किया तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
दिनांक-5.1.2026 **(मंजुर अली) एडवोकेट मो.नं. 9414243456**

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1024 चूंकि प्रार्थी श्री NIRANJAN KUMAR SINGHAL 103, DOCTORS COLONY DCM AJMER ROAD, JAIPUR, RAJASTHAN-302021 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास यूनिटी होराइजन P.N. 23, WISDOM, FRIST FLOOR, LAXMI DHARAM KANTA LANE, 22-GODAM, JAIPUR, RAJASTHAN-302006 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 02.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 09.03.2026
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम**

खोया पाया
आवास 31/29/12 मानसरोवर, जयपुर का मूल अलोटमेंट एवं कब्जा पत्र कहीं खो गया है जो कि आवासन मण्डल द्वारा अशोक कुमार के नाम से जारी है सूचित करें-9587101010

जेडीए आवासीय योजना- आनन्द विहार, अजमेर रोड, जयपुर के भूखण्ड संख्या-396 का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया है। कृपया मिलने पर सूचित करें। अरविन्द कुमार पुत्र सुरेश कुमार। 7073044487

जेडीए आवासीय योजना- रोहिणी एन्क्लेव, जयपुर के भूखण्ड संख्या एफ-582 का मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र कहीं गुम हो गये है। कृपया मिलने पर सूचित करें। जूली नामा पुत्री हुकुमचन्द नामा, 9314566936

मेरा फ्लैट नं. 18/जी/9 (3-एफ) सरस्वती अपार्टमेन्ट प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन व अदेय प्रमाण पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें-7976227176

मेरा मकान नं. 209 गणेश नगर बी साइवाड साइपुरा रोड नारदपुरा जयपुर के ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर, साइड प्लान, रशीद, खो गई मिले तो सूचित करें। 7691077416

मेरा प्लॉट की निजी खातेदरी के खसरा नंबर 1440/1, 1440/2, 1441/1, 1441/2, 1442/2 मुख्तारनामा कहीं पर गुम हो गया है मिलने पर सम्पर्क करें प्रभु नारायण अग्रवाल पुत्र लादूराम अग्रवाल-9829610614

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/1054 चूंकि प्रार्थी श्री JITENDRA CHOUDHARY 24, JATON KA MOHALLA, BADANPURA, SANGANER, JAIPUR, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति 22 PREM COLONY, NEAR AIRPORT CIRCLE, TONK ROAD, SANGANER, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 02.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 09.03.2026
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम**

आम-सूचना का खण्डन
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विनोद यादव, एडवोकेट के द्वारा दिनांक 24.12.2025 को मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से जो आम-सूचना दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रदूत के पृष्ठ संख्या 5 पर प्रकाशित करवायी गई है जो कि पूर्णतया भ्रामक व मिथ्या है चूंकि श्याम सरोवर योजना से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेजात समिति के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा ना ही तो जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करवाये गये हैं ना ही उक्त योजना का कोई रिकार्ड व दस्तावेजात अधिकृत पदाधिकारियों के पास उपलब्ध है। ना ही उक्त योजना के नक्शे में किसी प्रकार का कोई संशोधन कर किसी व्यक्ति को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करवाया है। अतः उक्त दिनांक 24.12.2025 को प्रकाशित आम-सूचना शून्य व निष्प्रभावी है। **धीरेन्द्र त्रिवेदी, एडवोकेट,**
दिनांक 05-01-2026 **मोबाईल नं. 9314618660**

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:9455 जाहिर आम-सूचना दिनांक:31.12.2025
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 34 / 245 (HIG), (एरिया 164.377 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री विनोद कुमार समरा पुत्र श्री बी. आर. समरा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2330 दिनांक 03.03.2000 को जारी किया गया। श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री मांगी लाल शर्मा के पक्ष में उक्त आवास का निर्माणविकरण पत्र क्रमांक 1158 / 8793 दिनांक 20.12.2017 के द्वारा किया गया। श्री दिनेश शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 31.12.2017 को सब रजिस्ट्रार जयपुर - पंचम के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री दिनेश शर्मा की मृत्यु दिनांक 13/2/2023 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री विपुल शर्मा पुत्र स्व. श्री दिनेश कुमार शर्मा द्वारा पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर उक्त आवास स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री विपुल शर्मा पुत्र स्व. श्री दिनेश कुमार शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 37/25
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी (1) श्रीमती सीता देवी शर्मा पत्नि स्व. श्री बाबूलाल शर्मा, (2) मोनिका शर्मा पुत्री स्व. श्री बाबूलाल शर्मा (3) खुशी शर्मा पुत्री स्व. बाबूलाल शर्मा (4) शिव कुमार शर्मा पुत्र स्व. बाबूलाल शर्मा जरिये संरक्षक माता सीता देवी शर्मा पत्नि स्व. श्री बाबूलाल शर्मा, समस्त निवासीयान-ग्राम बालावाला, तहसील सांगानेर, जि